प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, सिरोही, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 336/2022 दिनांक 30/8/2022

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 13(1)बी, 13(2)
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– .....–.....
   (3) अधिनियम .....–..... धाराये :–.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 547 समय 2:00 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**गुरूवार, दिनांक 07.01.2021, समय 07:00 पी.एम.,**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **07.01.2021 समय 05:00 पी.एम.,**

4. सूचना की किस्म :– **जरिये सूत्र,**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी– **चौकी से बदिश उत्तर बफासला करीब 100 मीटर दूर।**
   (ब) पताः– **कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, सिरोही के सामने सिरोही,**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. **सरकार जरिये श्री नारायणसिंह राजपुरोहित, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री सुमनकुमार पुत्र श्री मंगलाराम, जाति मेघवाल, उम्र 34 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी पाड़ीव, तहसील व जिला सिरोही, हाल फोरमेन, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियां का कुल मूल्यः– **वक्त चैकिंग आरोपी के कब्जा से 33000 रू. अवैध राशि बरामद,**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

ब्यूरो में दर्ज प्राथमिक जांच संख्या 06/2021 दिनांक 10.09.2021 के सत्यापन से पाया कि श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही को दिनांक 07.01.2021 वक्त करीब 5:00 पी.एम. पर विश्वस्त सूत्रों से विश्वसनीय सूचना मिली थी कि संदिग्ध श्री सुमनकुमार फोरमेन, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही जरिये राजकीय वाहन आर.जे. 24 यूए 0258 मय चालक के आबूरोड़ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर वैध/अवैध माईनिंग कार्यों की ऐवज में

विभिन्न लोगों से अवैध वसूली कर सिरोही माईनिंग ऑफिस के लिए रवाना हुए हैं। सूचना विश्वसीय होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मामला ब्यूरो के उच्च–अधिकारियों के संज्ञान में लाकर आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही का निर्णय लिया गया। संदिग्ध श्री सुमनकुमार फोरमेन की तलाशी का तलाशी वारण्ट सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने में समय लगने व तब तक संदिग्ध द्वारा अवैध राशि को कहीं खुर्द–बुर्द करने की पूर्ण संभावना को देखते हुए हस्ब कायदा धारा 100 व 165 सी.आर.पी.सी. के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए संदिग्ध फोरमेन व चालक के विरूद्ध आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही आयोजित करने हेतु नगर परिषद सिरोही से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री योगेशकुमार कुमावत सहायक अभियन्ता व श्री राजनदास तेजी कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद सिरोही की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी करवाई जाकर दोनों गवाहान को तलब करने के प्रयोजन से अवगत करवाया गया, जिन्होनें पूर्ण जानकारी प्राप्त कर इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात वक्त करीब 6:00 पी.एम. पर श्री चेलाराम हैड कानि. 109 व श्री रमेशकुमार कानि. 119 को जरिये निजी मोटर साईकिल सिरोही से करीब तीन किलोमीटर दूर आबूरोड़ से आने वाली रोड़ पर अवस्थित बाबा रामदेव होटल के आस–पास उपस्थित रहकर संदिग्ध वाहन की पूर्व निगरानी हेतु रवाना कर श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ श्री अदाराम हैड कानि. नं. 40, श्री रविन्द्रकुमार हैड कानि. 28, श्री सोहनराम कानि. नं. 361, श्रीमती दीक्षा म.कानि. 436, श्रीमति ईशुकंवर कानि. 157, श्री हरीश कुमार कनिष्ठ सहायक व चालक श्री गणेशलाल के हमराहियान एसीबी ऑफिस सिरोही से ही माईनिंग ऑफिस सिरोही की निगरानी प्रारंभ की गई। चूंकि माईनिंग ऑफिस सिरोही एसीबी ऑफिस सिरोही के पास ही अवस्थित होने से एसीबी कार्यालय से वहां तक नजरी निगरानी रखी जा सकती थी। इस दरम्यान वक्त 6:45 पी.एम. पर संदिग्ध वाहन की पूर्व निगरानी हेतु भेजे गए श्री रमेशकुमार कानि. ने ब्यूरो जाब्ता के श्री सोहनराम कानि. 361 के मोबाईल पर कॉल कर अवगत करवाया कि कथित नंबरों का वाहन अभी–अभी बाबा रामदेव होटल के पास से निकलकर सिरोही की तरफ आ रहा हैं, चालू कॉल में ही उक्त ईतिला से कानि. सोहनराम द्वारा श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने पर श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रमेशकुमार को मोबाईल कॉल चालू रखते हुए मोटर साईकिल से संदिग्ध वाहन का पीछा करने के निर्देश प्रदान कर हमराही गवाहान व जाब्ता के साथ एसीबी कार्यालय से माईनिंग कार्यालय की तरफ रवाना होकर समस्त हमराहियान को संदिग्ध वाहन को रूकवाकर अग्रिम कार्यवाही बाबत् मुनासिब हिदायत की गई। इसी बीच संदिग्ध वाहन का पीछा कर रहे श्री रमेशकुमार कानि. ने बताया कि वाहन पुलिस लाईन में जाकर वापस बाहर निकलकर माईनिंग व एसीबी कार्यालय की तरफ आ रहा हैं। वक्त 7.00 पी. एम. पर राजस्थान सरकार अंकित सुदा राजकीय वाहन आर.जे. 24 यूए 0258 माईनिंग कार्यालय सिरोही के मैन गेट पर आकर रूका, जिसके पीछे–पीछे श्री रमेशकुमार कानि. व श्री चेलाराम हैड कानि. निजी मोटर साईकिल से भी पंहुच गये। संदिग्ध वाहन के पास पंहुच देखा तो उसमें चालक व चालक के बगल की फ्रण्ट सींट पर एक व्यक्ति सहित वाहन में कुल दो व्यक्ति बैठे दिखे। चालक की बगल में फ्रण्ट सींट पर बैठे व्यक्ति को श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाकर रूबरू गवाहान उनका परिचय पूछा तो घबराते हुए उसने अपना परिचय श्री सुमनकुमार पुत्र श्री मंगलाराम, जाति मेगवाल, उम्र 32 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी पाड़ीव, तहसील व जिला सिरोही, हाल फोरमेन, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही व इसी प्रकार पूछने पर वाहन चालक ने अपना परिचय श्री ताराचन्द पुत्र श्री घीसालाल, जाति जाट, उम्र 41 वर्ष, निवासी भुदोली रोड़ नीमका थाना, जिला सीकर, हाल चालक, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही के रूप में दिया। इस बीच श्री सुमनकुमार फोरमेन ने धीरे से अपने पैण्ट की दांहिनी जेब से एक लिफाफा निकालकर फ्रण्ट सींट के दांहिनी तरफ रख दिया। जिसे ऐसा करते वाहन चालक श्री ताराचन्द, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो दल के काफी सदस्यों ने भी देखा

था। श्री सुमनकुमार द्वारा रखे गए उक्त लिफाफे की तलाशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतन्त्र गवाह श्री योगेशकुमार सहायक अभियन्ता द्वारा ली गई तो लिफाफे में 2000–2000 रू. के 06 नोट व 500–500 रू. के 42 नोट, कुल 33000 रू. नगद होना पाये गये। उक्त राशि के संबध में पूछताछ पर श्री सुमनकुमार फोरमेन व चालक श्री ताराचन्द घबरा गये एंव प्रथम दृष्टिया दोनों ही अन्जान बनकर अनभिज्ञता जाहिर करने लगे। इस बाबत् श्री सुमनकुमार फोरमेन ने बताया कि लिफाफा व इसमें मिली राशि बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं हैं कि यह लिफाफा हमारे वाहन में कैसे आया। वाहन चालक श्री ताराचन्द ने भी इस राशियुक्त लिफाफ के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया, के अलावा कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात पूरे वाहन की व दोनों संदिग्धान की स्वतन्त्र गवाह श्री योगेशकुमार सहायक अभियन्ता द्वारा तलाशी ली गई तो श्री सुमनकुमार फोरमेन के पर्स में 500–500 रू. के 13 नोट, 100–100 रू. के 06 नोट, 20 रू. का एक नोट, 10–10 रू. के 05 नोट, कुल 7170 रू. नगद, वाहन नं. आर.जे. 24 सीए 5460 की मूल आर.सी. सुमनकुमार बामणिया के नाम से व स्वयं का ड्राईवरिंग लाईसेन्स व चालक श्री ताराचन्द के पर्स में 2000 रू. का एक नोट, पांच–पांच सौ रू. के 05 नोट व दो सौ–दो सौ रू. के 02 नोट कुल 4900 रू. नगद, पेन कार्ड नं. एआरएफपीजे 0738 जी ताराचन्द जाट के नाम, एचडीएफसी बैंक का एटीएम/वीजा कार्ड नं. 4854 4601 0362 1467 वेलिड 05/22 तक (इण्टरनेशनल डेबिट कार्ड) ताराचन्द के नाम का मिला, साथ ही दोनों के गले में अपनी–अपनी विभागीय आई.डी. टंगी हुई मिली। श्री ताराचन्द चालक के पास सैमसंग कंपनी का मोबाईल जिसमें दो सिम नं. 8104771134 व 9610456456 तथा श्री सुमनकुमार के पास एक रेडमी नोट 8 प्रो मोबाईल जिसमें सिम नं. 9529315779 व आई–फोन जिसमें सिम नं. 8107706242 मिले। इस प्रकार वाहन में बैठे श्री सुमनकुमार फोरमेन के पास लिफाफे में मिली राशि 33000 रू. व उसके पर्स में मिली 7170 रू. सहित कुल 40170 रू. मिले। जबकि वाहन चालक श्री ताराचन्द के पास 4900 रू. वक्त तलाशी मिले। श्री सुमनकुमार फोरमेन व श्री ताराचन्द वाहन चालक द्वारा अपने–अपने पास मिली उक्त राशि के संबध में पूछताछ पर कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर नहीं दिया एंव रूपये उनके पास कहां से आये, के स्रोत के बारे में कुछ नहीं बताया। तत्पश्चात उक्त दोनों को मय वाहन के पास ही स्थित एसीबी कार्यालय सिरोही में लाकर दोनों गवाहान व एसीबी स्टाफ के समक्ष श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः पूछताछ की गई तो दोनों द्वारा पूर्व तथ्य दोहराते हुए अन्य कोई नया प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। जिस पर दोनों को सूत्र सूचना से अवगत करवाकर राशि वाला लिफाफा चालक श्री ताराचन्द के सामने ही श्री सुमनकुमार फोरमेन द्वारा ब्यूरो दल व गवाहान द्वारा वाहन की चैकिंग प्रारंभ करने पर चुपके से पहनी हुई पैण्ट की दांहिनी जेब में से निकालकर दांहिनी तरफ सींट के पास ही रखा जाने बाबत् दोनों से पुनः पूछताछ की गई तो श्री सुमनकुमार व श्री ताराचन्द ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया एंव नजरें नीचे किये हुए निरूत्तर रहे। दोनों ने ही राशियुक्त लिफाफे के स्रोत के संबध में उस समय मौके पर कोई स्पष्ट तथ्य नहीं बताए थे, जिस पर बरामदा समस्त राशि को संदिग्ध एंव अवैध वसूली की राशि मानकर श्री सुमनकुमार के कब्जा से 33000+7170=40170 रू. तथा श्री ताराचन्द वाहन चालक के कब्जा से 4900 रू. सहित कुल राशि 45070 रू. रूबरू गवाहान जब्त किये गये थे। इसके अलावा तलाशी के दोरान उनके पास मिले दोनों के मोबाईल मय सिम, दोनो के पर्स मय पेन कार्ड, आर.सी. ड्राईवरिंग लाईसेन्स व एटीएम कार्ड आदि संबधित को पुनः सुपुर्द किये गये। उक्त जब्त नगद राशि के अलावा आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही के दौरान अन्य कोई सामग्री, नगद राशि, दस्तावेज आदि सहित कुछ भी जब्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार श्री सुमनकुमार खनि कार्यदेशक–II के कब्जा से 33000+7170=40170 रू. के संबध में श्री सुमनकुमार खनि कार्यदेशक–II, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही द्वारा कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर नहीं दिया जाने से आरोपी श्री सुमनकुमार खनि कार्यदेशक–II के पास से 33000+7170=40170 रू. के रूप में एक दिन की वैद्य आय (आय के ज्ञात स्रोत) से अनुपातिक रूप से अधिक धनीय संसाधन या सम्पति उनके कब्जे में से बरामद

हुई, जिनके स्रोत के संबध में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं पाया गया एंव न ही उनके द्वारा समाधानप्रद रूप से हिसाब दिया गया हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टिया उक्त राशि को संदिग्ध मानकर जब्त किया गया था। इसके अलावा वाहन चालक श्री ताराचन्द के कब्जा/पर्स में से बरामदा राशि 4900 रू. को भी संदिग्ध मानकर जब्त किया गया था, वाहन चालक श्री ताराचन्द के सामने वक्त चैकिंग राशियुक्त लिफाफा आरोपी श्री सुमनकुमार फोरमेन द्वारा अपनी पेण्ट जेब से निकालकर वाहन में दांहिनी यानि चालक स्वयं की तरफ रखने एंव उक्त घटना को उक्त वाहन चालक द्वारा देखे जाने एंव आरोपित फोरमेन से बरामदा संदिग्ध राशि के स्रोत बाबत् उन्हें पूर्ण जानकारी होने के बावजूद इस संबध में वाहन चालक द्वारा जान–बूझकर ब्यूरो के समक्ष सही प्रत्युत्तर नहीं देने से उक्त का कृत्य घोर अनुशासनहीनता, लापरवाही एंव राजकीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक होने से श्री ताराचन्द वाहन चालक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का निर्णय लिया गया, लिहाजा उक्त के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, प्रपत्र अ, ब, स, द एंव संबधित रेकर्ड उचित माध्यम सक्षम अधिकारी को भिजवाया गया।

आकस्मिक चैकिंग की मौका कार्यवाही के अतिरिक्त प्राथमिक जांच के सत्यापन के दौरान आरोपी श्री सुमनकुमार फोरमेन को बरामदा संदिग्ध राशि के स्रोत बाबत् नोटिस जारी कर पर्याप्त समय दिया जाने के बावजूद उसके द्वारा बरामदा राशि के स्रोत के संबध में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर देने के बजाय रंजिशवश हल्का क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनसे द्वेष रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें फंसाने के उदेश्श्य से गाड़ी में राशियुक्त लिफाफा रखना व समय रहते स्वयं की लिफाफे पर नजर नहीं पड़ने एंव तब तक रंजिश रखने वाले अज्ञात व्यक्ति द्वारा एसीबी को कॉल/सूचना देकर यह कार्यवाही करना बताया गया, जो स्पष्टीकरण तथ्य मानने योग्य नहीं हैं। श्री सुमनकुमार फोरमेन के सैलेरी अकाउण्ट्स का तत्समय की अवधि का बैंक स्टेटमेण्ट प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो श्री सुमनकुमार फोरमेन द्वारा दिनांक 14.12.2020 को 10,000 रू. ए.टी.एम. से विड्रॉल करना पाया जाने से स्पष्ट हैं कि आरोपी श्री सुमनकुमार द्वारा घटना दिवस व आस–पास के समय में नगद राशि किसी भी माध्यम से विड्रोल नहीं की गई थी। इस प्रकार श्री सुमनकुमार खनि कार्यदेशक–II के पास एक दिन की वैद्य आय (आय के ज्ञात स्रोत) से अनुपातिक रूप से अधिक धनीय संसाधन या सम्पति कब्जे में से बरामद होकर इसके स्रोत के संबध में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं पाया गया एंव न ही इनके द्वारा समाधानप्रद रूप से हिसाब दिया गया। लिहाजा उक्त कृत्य से श्री सुमनकुमार खनि कार्यदेशक–II के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1) बी 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं।

अतः **आरोपी श्री सुमनकुमार** पुत्र श्री मंगलाराम, जाति मेघवाल, उम्र 34 वर्ष, पैशा नौकरी, निवासी पाड़ीव, तहसील व जिला सिरोही, हाल फोरमेन, खान एंव भू–विज्ञान विभाग सिरोही के विरूद्ध एक दिन की वैद्य आय (आय के ज्ञात स्रोत) से अनुपातिक रूप से अधिक राशि भ्रष्ट एंव अवैध तरीके से प्राप्त करना पाया जाने से इनके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) बी 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरोही,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री सुमन कुमार पुत्र श्री मंगलाराम, फोरमेन, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सिरोही जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 336/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2937-42 दिनांक 30.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(पी.ई.06/21)।

30.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।